RCT 1028-2022

14.07.2025 राज्य द्वारा एडीपीओ उपस्थित।

अभियुक्तगण द्वारा अधिवक्ता श्री डी. पी. पटैल उपस्थित। अनुपस्थित अभियुक्तगण का हाजिरीमाफी आवेदन पेश, विचारोपरांत स्वीकृत।

प्रकरण अभियोजन साक्ष्य हेतु नियत है।

साक्षीगण को जारी आदेशिकाओं के पालन में फरियादी/आहत साक्षीगण आजम खान एवं जैनब बी उपस्थित।

इसी प्रक्रम पर उक्त फरियादी/आहत साक्षीगण द्वारा राजीनामा करने की अनुमति दिये जाने हेतु एक **आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 320(2) एवं 320(8) द. प्र.सं.** प्रस्तुत कर प्रकरण में राजीनामा किये जाने का निवेदन किया गया।

फरियादी/आहत साक्षीगण की पहचान अधिवक्ता श्री डी. पी. पटैल द्वारा की गयी, साथ ही साक्षीगण के आधार कार्ड/पहचान पत्र की अंगूठा निशानी सहित/स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति प्रकरण में संलग्न की गयी।

आवेदन पर सुना गया।

प्रकरण का अवलोकन किया गया।

प्रकरण के अवलोकन से दर्शित है कि प्रकरण में अभियुक्तगण के विरूद्ध भा.द.सं. की धारा 294, 506 भाग–2, 323 (शीर्ष–2) के विकल्प में 323/34 (शीर्ष–दो) के अंतर्गत आरोप विरचित किये गये हैं।

दण्ड विधि (मध्यप्रदेश) संशोधन अधिनियम, 2019 के अनुसार धारा 294 भा.द.सं. का अपराध ''वह व्यक्ति, जिसे क्षोभ कारित करने हेतु अश्लील कार्य किये गये थे या अश्लील शब्दों का प्रयोग किया गया था'', के द्वारा एवं धारा 323 का अपराध ''वह व्यक्ति जिसे उपहति कारित की गयी थी'' के द्वारा न्यायालय की अनुज्ञा के बिना शमनीय है एवं धारा 506 भाग–दो का अपराध ''वह व्यक्ति जिसके विरूद्ध आपराधिक अभित्रास का अपराध कारित किया गया था'', के द्वारा न्यायालय की अनुमति से शमनीय है

फरियादी/आहत साक्षीगण द्वारा अभियुक्तगण से स्वेच्छयापूर्वक बिना किसी डर दबाव के राजीनामा करना व्यक्त किया गया है। अब

फरियादी/आहत साक्षीगण आरोपीगण के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं चाहते है। फरियादी/आहत साक्षीगण, अभियुक्तगण से राजीनामा करने हेतु सक्षम पक्षकार हैं, क्योंकि वह व्यस्क होकर प्रकरण में फरियादी/आहत साक्षी है। फरियादी/आहत साक्षीगण की पहचान सुनिश्चित है।

ऐसी स्थिति में उभयपक्ष के मध्य आपसी सौहाद्रपूर्ण संबंध बने रहे, इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुये, प्रस्तुत राजीनामा आवेदन पत्र **स्वीकार** किया जाता है। फरियादी/आहत साक्षीगण आजम खान एवं जैनब बी को भा.द.सं. की धारा 294, 506 भाग–2, 323 (शीर्ष–2) के विकल्प में 323/34 (शीर्ष–दो) में अभियुक्तगण से राजीनामा करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

प्रकरण में राजीनामा के आधार पर अभियुक्तगण **नसीर पिता खलील खान** उम्र 45 वर्ष एवं **सलमा बी पति नसीर खान** उम्र 40 वर्ष, दोनों निवासी शोभानगर पटेरा, थाना पटेरा, जिला दमोह. म.प्र. को फरियादी/आहत साक्षीगण **आजम खान पिता खलील खां** उम्र 42 वर्ष एवं **जैनब बी पति आजम खान** उम्र 37 वर्ष दोनों निवासी शोभानगर पटेरा, थाना पटेरा, जिला दमोह. म.प्र. के संबंध में **भा.द.सं. की धारा 294, 506 भाग–2, 323 (शीर्ष–2) के विकल्प में 323/34 (शीर्ष–दो)** के अपराध से धारा 320(8) द.प्र.सं. के प्रावधान के परिप्रेक्ष्य में **दोषमुक्त** किया जाता है।

प्रकरण में अब अभियुक्तगण के विरूद्ध कोई कार्यवाही शेष नहीं है।

प्रकरण में जब्त शुदा एक बांस की लाठी मूल्य हीन होने से नष्ट की जावे।

अभियुक्तगण के अधिवक्ता को निर्देशित किया जाता है कि वे अभियुक्तगण को दोषमुक्ति की सूचना प्रदान करें।

प्रकरण का परिणाम दर्ज कर नियत समयावधि में अभिलेखागार हटा भेजा जावे।

सही/–

(सुश्री निशिता श्रीवास्तव)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
हटा, जिला–दमोह (म.प्र.)

NISHITA SHRIVASTAVA

Digitally signed by NISHITA SHRIVASTAVA
Date: 2025.07.18 11:50:00 +0530